

राजस्थान सरकार
कारखाना एवम् बॉयलर्स निरीक्षण विभाग
कार्यालय:मुख्य निरीक्षक कारखाना एवम् बॉयलर्स, राजस्थान
6-सी, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
दूरभाष : 0141-2709659 email : rajfab@rajasthan.gov.in

क्रमांक :मु.नि.का.बा./2024 /

दिनांक :

कार्यालय आदेश

BRAP-2024 की पालना में बॉयलर अधिनियम, 1923 के तहत बॉयलर का रिस्क निर्धारण उच्च जोखिम श्रेणी (High Risk Category) में किया जाता है। है।

(डी.एल.डामोर)
मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
7967281

